

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुग,  
सी. ओ./रायपुर, 17, 2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 मई 2003—वैशाख 13, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 2963/21-अ/प्रारूपण/03.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-4-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2003)

## छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- |   |    |     |  |
|---|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.                                   | 1. | (1) | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 9 सन् 2003) है.  |
|   |    | (2) | इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा.   |
|   |    | (3) | यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.   |
| छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) का संशोधन. | 2. |     | छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 3 में वर्णित संशोधन के अध्वधीन रहते हुये प्रभावी होगा |
| धारा 3 में संशोधन.  | 3. |     | मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "दो अन्य सदस्यों" के स्थान पर शब्द "एक अन्य सदस्य" स्थापित किया जायेगा.   |

रायपुर, दिनांक 3 मई 2003

क्रमांक 2963/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 9 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 9 of 2003)

THE CHHATTISGARH RAJYA VITTA AYO (AMENDMENT)  
ADHINIYAM, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislative Assembly in the Fifty-fourth year of Republic of India as follows :—

- |    |     |  |  |
|----|-----|--|--|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Act, 2003 (No. 9 of 2003).  | Short title, extent and commencement.  |
|    | (2) | It extends to the whole of Chhattisgarh.   |  |
|    | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.   |  |
| 2. |     | The Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. | The Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) to be amended. |
| 3. |     | In Section 3 of the Principal Act, for the words "to other members", the words "one other member" shall be substituted.  | Amendment of Section 3.  |

